न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00490 (363/2018) 223 आरटीएक्ट

शिवदत्त पुत्र दयाराम जाति कुम्हार आयु..... वर्ष निवासी जनाण तह0 भादरा जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2018 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 153/2016 बअनवानी स्टेट बनाम शिवदत्त

उपस्थितः–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

निर्णय दिनांकः–17.05.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी ने अपनी कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग कें लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न करवाकर नियमों का उल्लंघन किया है जो धारा 177 का उल्लंघन है। वह सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। अतः भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्ण 05.02.2018 के द्वारा भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित किये जाने के आदेश दिये तथा वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करने का निर्णय पारित किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में अकृषि कार्य के अलावा अन्य उपयोग उपभोग में नहीं ली जा रही है मौके पर फसल काश्त है परन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि के रूपान्तरण हेतु तत्पर एवं इच्छुक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का अपीलाण्ट ने उल्लंघन नहीं किया है। कोई काश्तकार बिना स्वीकृति अपनी कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि के 1/50 हिस्से तक अकृषि भूमि हेतु प्रयोग में ले सकता है। 177 आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही करने से पूर्व तहसीलदार ने कोई नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया। अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। दिनांक 10.05.2017 को पत्रावली पेशी में नहीं आई एवं पत्रावली दिनांक 06.06.2017 को कैम्प जनाणा में पत्रावली को पेशी में ली गई। तत्पश्चात् अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। जो निरस्त कर खारिज किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधीवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि को अकृषी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। जबकि गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति लिए बिना एवं रूपान्तरण किये बिना अकृषि प्रयोजन कोई भी कृषक उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है। अपीलाण्ट सद्भावी कृषिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खाजिर की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपील में यह तथ्य आया है कि प्रश्नगत भूमि के सभी काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सभी काश्तकारों को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2072 से 75 चक 2 एमआरएन तहसील भादरा खाता संख्या 21/19 में अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा दर्ज है। जिसमें अपीलान्ट के अलावा और भी काश्तकार है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हानिप्रद कार्य का शर्त भंग के कारण बेदखली के प्रावधान किए गये है जिसमें उपधारा (3) में यह उल्लेख है कि इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लेखित की जाए के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाए कारण बताने का आदेश देगा। उपधारा (4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि वह नोटिस में उल्लेखित अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर उस आवेदन पत्र को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार की एक वाद में इसके अलावा धारा 178 व 179 में भी प्रावधान दिए गये है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि वह प्रश्नगत भूमि को अकृषि कार्य में संपरिवर्तन हेतू इच्छुक एवं तत्पर है। खाता विभाजन करवाने के बाद वह भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग हेतू संपरिवर्तन करवा लेगा संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में जब तक खाता विभाजन नहीं हो जाता प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा माने जाने की अवधारणा है विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सभी सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।
7. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2018 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भादरा को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
© Copy - Not Official

किया जाता है कि समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाते हुए साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः परीक्षण करते हुए विधि सम्मत निर्णय प्रसारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17/5/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official